राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

(पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 142 / 2024

कमला देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

............वादिया

बनाम

1. रामकरण उम्र 50 वर्ष पुत्र भोलाराम
2. शिवदान उर्फ श्योदान पुत्र सावंतराम
3. हरिशचन्द्र पुत्र सांवतराम
4. रामकोरी पत्नी नन्दलाल (नाम हजफ)
5. थानाराम पुत्र नन्दलाल
6. धर्मपाल पुत्र नन्दलाल

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवगलढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुगाला जरिये प्रबन्धक (राज0)
8. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती

वकील वादी–श्री शिशुपाल सिंह कुल्हरी

वकील प्रतिवादी नं. 1 ल. 3, 5 व 5 श्री सुरेश कुमार

वकील–प्रतिवादी नं. 7 व 8 के विपरीत एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–18.12.2024

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

:–निर्णय–:

वादिया ने यह वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम बुगाला की सारहद में भूमि खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.75 है0 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1283/2 रकबा 0.428 है0 जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 1283/3 रकबा 0.6872 है0 जिसके अब खसरा नम्बर 1992/1283 व 1993/1283 जो प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज है के विपरीत पेश किया है तथा यह कथन किया है कि उपर वर्णित भूमि वादिया के कब्जे व खातेदारी की भूमि है जिस बाबत प्रतिवादी नं0. 1 द्वारा अनुवानी वाद रामकरण बनाम शिवदान आदि मुकदमा नं0 48/2021 माननीय न्यायालय में पेश हुआ जिसमें वादिया को बिना पक्षकार बनाये उसकी भूमि को विभाजन में शामिल किया गया तथा वादिया की भूमि को बिना विभाजन किये ही तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत जाकर वादिया को बिना सुने ही उस भूमि का विभाजन कर दिया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1283/2 जिसके अब खसरा नम्बर 1992/1283 प्रतिवादी नं.0 1 के नाम था खसरा नम्बर 1283/3 रकबा 0.6872 जिसके अब खसरा नम्बर 1993/1283 जो प्रतिवादी संख्या 6 के नाम है तथा खसरा नम्बर 1283/1 रकबा 0.02 है0 रास्ते के रूप में अंकित है जो रास्ते के रूप में काम आ रही है रास्ते की भूमि का वादिया को कोई एतराज नही है लेकिन भूमि खसरा नम्बर 1283/3 रकबा 0.428 है0 व खसरा नम्बर 1283/3 रकबा 0.6872 है0 का राजस्व अभिलेख वादिया के नाम पुनः करने हेतु वादिया ने यह वाद पेश किया है। वादिया अपनी भूमि पर काबिज है जिस बाबत दिनांक 30.08.2024 को उनवानी वाद रामकरण बनाम शिवदान आदि मुकदमा संख्या 48/2021 के निर्णय से पता चला कि वादिया को उसमें पक्षकार नही बनाया है उपरोक्त आधार पर वादिया खसरा नम्बर 1283/2 व 1283/3 रकबा 0.428 है0 व 0.6872 है0 [illegible] बुगाला के दोनों नम्बरान को हटाया जाकर मूल खसरा नम्बर 1283 रकबा [illegible] है0 की खातेदारी वादिया के नाम अंकित की जाने हेतु निवेदन है।

जिस पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया वाद के लम्बन के दौरान प्रतिवादिया संख्या 4 की मृत्यु होने पर उसका नाम वाद से हजफ किया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 व 6 ने इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विपरीत दिनांक 18.12.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तद्उपरान्त पत्रावली में साक्ष्य वादी में वादिया स्वयं, प्रतिवादी श्योदान तथा थानाराम के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से कोई जिरह नही की गई उक्तानुसार जिरह का अवसर बन्द किया जाता है बहस अन्तिम सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि प्रदर्श–1 विभाजन प्रस्ताव में वादिया की भूमि को शामिल किया गया है परन्तु वादिया उसमें पक्षकार नही है जिस बाबत जमाबन्दी प्रदर्श–3 से कमला देवी के नाम खातेदारी अंकित होना साबित है तथा प्रदर्श–4 व 5 के जरिये उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 6 के नाम गलत रूप से दर्ज होना साबित है। उपरोक्तानुसार वादिया का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादिया डिक्री किया जाकर जमीन खसरा नम्बर 1992/1283, 1993/1283 रकबा क्रमशः 0.0428 व 0.6872 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.73 है0 स्थित ग्राम बुगाला का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावें एवं तद्ननुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
पीठासीन अधिकारी
(फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:04 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व विभाजन

मुकदमा सं0:–142/2024 **(कमला देवी बनाम रामकरण आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.12.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1992/1283 रकबा 0.0428 तथा खसरा नम्बर 1993/1283 रकबा 0.6872 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7300 है0 भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। भूमि का विभाजन घोषित खातेदारी व कब्जे काश्त के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को मौका फीस 500/–रूपये पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान् की मौजूदगी में युक्तियुक्त रास्तों को मध्यनजर रखते हुए घोषित खातेदारी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.12.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:04 IST
Reason: SelfAttested